आगजनी एवं भूकंप से बचाव हेतु

मॉक-ड्रिल मार्गदर्शिका

(शिक्षकों एवं बच्चों के लिए)

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

BIHAR STATE DISASTER MANAGEMENT AUTHORITY

www.bsdma.org

पात्र परिचय एवं कुछ शब्द पुस्तक के बारे में

इस पुस्तक में बताया गया है कि विद्यालय में मॉक–ड्रिल के आयोजन से पूर्व विद्यालय स्तर पर क्या–क्या तैयारियों एवं विद्यालय स्तर पर मॉक–ड्रिल के आयोजन हेतु शिक्षकों एवं छात्रों के लिए कुछ मार्गदर्शक नियम भी बतलाये गये हैं। पुस्तक में कहानी के माध्यम से वर्णित आगजनी एवं भूकंप की स्थिति से बचाव हेतु मॉक–ड्रिल के विभिन्न चरणों को अमल में लाकर छात्र न केवल स्वयं की रक्षा करते हैं, बल्कि विद्यालय के अन्य बच्चों को भी बचा सकते हैं। इसे बड़े ही रोचक ढ़ंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

चुलबुली एक होशियार, जिज्ञासु एवं तीक्ष्णबुद्धि वाली लड़की है। वह अपने कक्षा की मोनिटर है। उसे खेलना और शरारत करना बेहद पसंद है। दोस्तों की मदद करना उसे अच्छा लगता है। चुलबुली कोई समस्या आने पर उसका डटकर मुकाबला करने में सबसे आगे रहती है। चुलबुली की इन्हीं खूबियों की वजह से सभी उसे प्यार करते हैं।

चंचल, चुलबुली का छोटा भाई है। चंचल मासूम और तेज भी है। वह सभी का ख्याल रखता है। वह अपने विद्यालय के मास्टर जी एवं दीदी जी (नोडल टीचर, आपदा प्रबंधन) का प्यारा है। चुलबुली की तरह चंचल को भी सवाल पूछने एवं उसके उत्तर जानने की उत्सुकता रहती है।

चुलबुली और चंचल का प्रिय मित्र **नटखट बंदर** है। **नटखट** चंचल के साथ खेलता और शरारत करता है। किसी भी प्रकार की मुसीबत आने पर नटखट तुरंत सूचना चुलबुली को सूचना देता है। नटखट विद्यालय में सभी का दुलारा है।

दीदी जी (नोडल टीचर, आपदा प्रबंधन) के रूप मे कार्यरत हैं।

आशा है कि प्रस्तुत पुस्तक स्कूल/विद्यालय स्तरीय मॉक–ड्रिल (आगजनी/भूकंप) हेतु आवश्यक जानकारी छात्रों एवं शिक्षकों को उपलब्ध करायेगी एवं वे इसका निरंतर अभ्यास करेगें।

प्रस्तावना

आपदा एवं इससे बचाव के विषय में बच्चों का जागरूक होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण माना गया है। ऐसा समझा और देखा गया है कि बच्चे किसी भी नये ज्ञान अथवा सूचना के प्रति उत्सुक होते हैं और इसे समझ–बूझ कर पर वे अपने सहपाठियों, अभिभावकों एवं आसपास के लोगों के बीच बड़ी सहजता और सरलता के साथ इसे साझा करते हैं। प्रस्तुत पुस्तक इसी तथ्य को ध्यान में रखकर बनायी गई है। एक कहानी के माध्यम से विद्यालय स्तर पर आगजनी एवं भूकंप जैसी आपदा से बचाव हेतु मॉक–ड्रिल क्यों आवश्यक है, इसके आयोजन से पूर्व जिला एवं विद्यालय स्तर पर क्या–क्या तैयारियाँ की जानी है एवं इसके विभिन्न चरणों को, बड़े ही रोचक तरीके से इस पुस्तक में दर्शाने का प्रयास किया गया है।

विद्यालय स्तरीय मॉक–ड्रिल कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु शिक्षकों के लिए भी कुछ महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक नियम को इस पुस्तक में कहानी से अलग पंक्ति में चरणबद्ध तरीके से (Stepwise) दर्शाया गया हैं।

हम ऐसी आशा करते है कि प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन के उपरांत शिक्षक एवं बच्चे पुस्तक में बताये गये मॉक–ड्रिल के विभिन्न चरणों (Steps) के प्रति न केवल अभ्यस्त होगें बल्कि आपदा आने पर Respond कर अपने अति महत्वपूर्ण जीवन की रक्षा करने में सक्षम होगें।

अनिल कुमार सिन्हा
उपाध्यक्ष
बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

विद्यालय प्रांगण में मास्टर जी (प्रधानाध्यापक) और उनके अन्य सहयोगी शिक्षक एवं अन्य सहकर्मी आज सुबह से ही व्यस्त हैं, और क्यों न हो?

आज विद्यालय में आगजनी एवं भूकंप से बचाव के लिए मॉक–ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन जो होने वाला है!

चुलबुली (क्लास मोनिटर) और चंचल (चुलबुली का छोटा भाई) सुबह सबेरे ही विद्यालय सभा स्थल (असेम्बली) पर पहुँच जाते हैं।

चुलबुली और चंचल छात्रों को कक्षा के क्रम में, क्रमांक के अनुसार और अपने निर्धारित स्थान पर सभा स्थल (असेम्बली) में खड़े होने को कह रहे हैं।

1. प्रत्येक विद्यालय में बच्चों के इकठ्ठे होने का स्थान सुनिश्चित किया जाय तथा उक्त स्थान में कक्षा के क्रम अनुसार बच्चों का स्थान निर्धारित किया जाय, ताकि यदि कोई आपदा आती है तो वे क्रमबद्ध ढ़ंग से एक जगह एकत्रित हो जाये और किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति से उनका बचाव हो सके।
2. बच्चे क्रमबद्ध होकर (In Line) कक्षा से बाहर आकर सभा स्थल (Assembly) में एकत्रित हों।

मास्टर जी और प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी ने दीदी जी को कार्यक्रम की देखरेख के लिए मुख्य अधिकारी (नोडल टीचर, आपदा प्रबंधन) बनाया है। दीदी जी सभा स्थल पर पहुँचकर छात्रों के खड़े होने का क्रम देखकर खुश हो जाती है। चुलबुली और चंचल को इस कार्य के लिए शाबाशी देती है।

3. शिक्षकों द्वारा प्रत्येक बच्चों का क्रमांक गणना (रोल काउंट) सभा स्थल (असेम्बली) में सुनिश्चित किया जाय।
4. सभी संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक विद्यालय में एक शिक्षक नोडल पदाधिकारी (आपदा प्रबंधन) के रूप में कार्य करेंगें जो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि निरंतर और नियत अवधि पर विद्यालय में मॉक–ड्रिल कराया जा सके।

विद्यालय के नंदू काका (चपरासी) और अन्य सभी सहकर्मी, आग बुझाने के लिए सभी आवश्यक सामग्री (1.टार्च, 2.जन सूचना तंत्र, 3.रेडियो, 4.मोटा कपड़ा, 5. रस्सी, 6.अग्नि बाल्टी एवं बालू 7.अग्निशमन यंत्र, 8.बालू से भरा बोरा) एकत्र करने में लगे हुए हैं।

तभी, तिवारी जी (जिला शिक्षा पदाधिकारी) का विद्यालय में आगमन होता है।

5. विद्यालय के सभी कर्मचारी एवं सदस्य मॉक–ड्रिल सम्मिलित हों और इसमें हर संभव सहयोग करें।

तिवारी जी ने मास्टर जी और दीदी जी को बतलाया कि आज के दिन ही जिले के सभी विद्यालय में मॉक–ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन निर्धारित किया गया है।

6. मॉक–ड्रिल जिले के सभी विद्यालयों में किसी एक निर्धारित तिथि को एवं एक साथ सुनिश्चित किया जाय।

मॉक–ड्रिल से संबंधित सूचनाओं को एकत्र करने के लिए तिवारी जी ने दीदी जी और मास्टर जी को एक फॉर्म देते हुए कहा, ''मॉक–ड्रिल कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दीदी जी इसे भर कर आप मुझे अथवा जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कार्यालय को समय पर उपलब्ध करा दीजिएगा।''

7. सभी विद्यालय यह सुनिश्चित करें कि मॉक–ड्रिल का रिपोर्ट राज्य समन्वय संस्थान (SCERT / शिक्षा विभाग) आदि को ससमय पहुँचाया जाय।

विद्यालय स्तर पर मॉक–ड्रिल आयोजन हेतु कल संपन्न हुई जिला स्तरीय कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर के बारे में सोचती हुई चुलबुली, चंचल और अन्य सहपाठियों से पूछती है, '' क्या तुम्हें मालूम है कि कल अपने जिले में मॉक–ड्रिल से संबंधित कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था?''

सभी एक साथ कहने लगते हैं, ''नहीं–नहीं!''

8. जिला स्तर पर सामुहिक मॉक–ड्रिल कराने के पूर्व, एक कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराया जाय। इसमें सभी संबंधित नोडल शिक्षक/शिक्षा पदाधिकारी/प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी/जिला शिक्षा पदाधिकारी आदि सम्मिलित हो।

तभी, जिज्ञासा भरी आँखों से चंचल, चुलबुली से पूछता है, ''दीदी इस कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर में कौन –कौन शामिल हुए थे?''

चुलबुली, चंचल की जिज्ञासा को शांत करते हुए कहती है, ''आओ चंचल तुम सभी को उन से मिला ही देती हूँ।''

9. जिला स्तरीय कार्यशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम में पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं सभी संबंधित अभियंता (PWD Road, PHED,etc.), अग्निशमन विभाग, एन.सी.सी., स्काऊट एंड गाइड, सिविल डिफेंस और अन्य संबंधित विभाग के सदस्यों को सम्मिलित किया जाय।

सभी आयोजन स्थल पर पहुँच जाते हैं।

चुलबुली सभी से कहती है, ''मंच पर बैठे इन सभी लोगों के अतिरिक्त कल के कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर में हमारे मास्टर जी, दीदी जी, स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर साहब, प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, पी. डब्ल्यू. डी., सिविल डिफेंस, स्काऊट एंड गाइड एवं एन.सी.सी. के लोगों के साथ–साथ और बहुत से विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया था। ''

चंचल का दोस्त मोनू चुलबुली से पूछता है, ''दीदी इस कार्यशाला/प्रशिक्षण शिविर में क्या–क्या चर्चा हुई?''

10. जिला स्तरीय कार्यशाला में, जिले के सभी विद्यालय में मॉक–ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक हो सके इसके लिए व्यापक तैयारी एवं योजना का निर्माण किया जाय और साथ ही साथ आपदा के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है (Do's and Don'ts) की कार्य योजना बनायी जाय।

चुलबुली, मोनू को बताती है, ''कार्यशाला/प्रशिक्षण में मॉक–ड्रिल कार्यक्रम को सफल बनाने एवं आगजनी तथा भूकंप जैसी आपदा से बचाव हेतु क्या करना और क्या नहीं करना चाहिए आदि विषय पर चर्चा कर रहे थे जिससे जिले के विद्यलयों में हम बच्चे अपने सुरक्षा के लिए तैयार हो सकें।''

दीदी जी, चुलबुली की सभी बातों को ध्यान से सुन रहीं थीं। दीदी जी ने मुस्कुराते हुए चुलबुली से कहा, ''वाह चुलबुली! तुमने कक्षा की तरह ही आगजनी एवं भूकंप हेतु मॉक–ड्रिल की जानकारी का पाठ दोहरा लिया है और सभी सहपाठियों के साथ साझा भी कर लिया है। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आज का मॉक–ड्रिल कार्यक्रम सफलतापूर्वक एवं उल्लास के साथ सम्पन्न होगा।''

मास्टर जी ने दीदी जी को आगजनी एवं अन्य आपदाओं से सुरक्षित बच निकलने के लिए आपदा से पहले, आपदा के दौरान और आपदा के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण उपायों की लिखित जानकारी दी जिसे दीदी जी ने सभी बच्चों को बतलाया।

11. आगजनी एवं निष्कासन (Fire & Evacuation) हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (Standard Operating Procedure-SOP) की प्रति सभी विद्यालयों में उपलब्ध करायी जाय तथा मानक संचालन प्रक्रिया के चरणों (Steps) के अनुसार विद्यालय में मॉक–ड्रिल सम्पन्न कराया जाय।

चुलबुली ने दीदी जी से आग्रह करते हुए पूछा, ''दीदी जी, इन उपायों से हमें क्या लाभ होगा?''

अन्य सभी बच्चे कहने लगें, ''हमें भी बताइए! हमें भी बताइए!''

''शांत हो जाओ! शांत हो जाओ!'' ऐसा कहते हुए दीदी जी ने सभी बच्चों को शांत कराया और फिर कहा, ''इन उपायों को अमल में लाकर तुम सभी आगजनी जैसी अन्य आपदा के समय भी आसानी से अपना बचाव कर सकते हो।

साथ ही इससे तुम सभी कम से कम समय में घटना स्थल से बाहर हो सकते हो और आगजनी में आग बुझाने वाले उपकरणों का उपयोग कुशलता से कर सकते हो।''

12. **इस दिशा निर्देश का उद्देश्य आपदा आने कि स्थिति में सुनियोजित, सिलसिलेवार, सुरक्षित ढ़ंग से कम से कम समय में विद्यालय परिसर को खाली (Evacuate) करने के साथ–साथ उपलब्ध संसाधनों और अग्निशामक यंत्र का यथा संभव उपयोग करना है।**

चंचल ने दीदी जी से पूछा, ''आज के बाद मॉक–ड्रिल कार्यक्रम का आयोजन कब किया जाएगा?, दीदी जी!''

दीदी जी ने कहा, ''शाबाश चंचल!, तुमने अच्छा सवाल पूछा है।''

दीदी जी, चंचल को बताती है, ''मॉक–ड्रिल का अभ्यास हर तीन माह में एक बार किया जाना आवश्यक होता है ताकि अभ्यास करने वाले बच्चे किसी भी प्रकार की आपदा आने पर तुरंत कारवाई (Respond) कर सकें और वे आपदा से बचाव के लिए बताए गए उपायों के प्रति अभ्यस्त हो सकें।''

13. मॉक–ड्रिल अभ्यास प्रत्येक तीन महीने पर किया जाना आवश्यक है। आवश्यकता अनुसार इससे पहले भी अभ्यास किया जा सकता है।

तभी, मास्टर जी पहुँचते हैं और कहते हैं, ''आप सभी मॉक–ड्रिल से यह भी सीख पायेंगें कि कम से कम समय में आगजनी, भूकंप जैसी आपदा की सूचना सभी लोगों तक कैसे पहुँचाया जा सकता है।''

चंचल और उसके अन्य साथी अपनी कक्षा की ओर बढ़ जाते हैं।

14. त्वरित सूचना प्रदान :– कोई भी बच्चा अथवा विद्यालय के सदस्य/शिक्षक यदि आग देखें (जो विध्वंशात्मक क्षमता रखता हो) तो इसकी सूचना अतिशीघ्र सारे विद्यालय में दें एवं यथा शीघ्र पुलिस विभाग और 101 पर अग्निशमन विभाग को सूचित करें।

नटखट छलांग लगाकर सभा स्थल पर खड़ी चुलबुली का ध्यान विद्यालय के पहली मंजिल पर लगे आग की ओर ले जाता है।

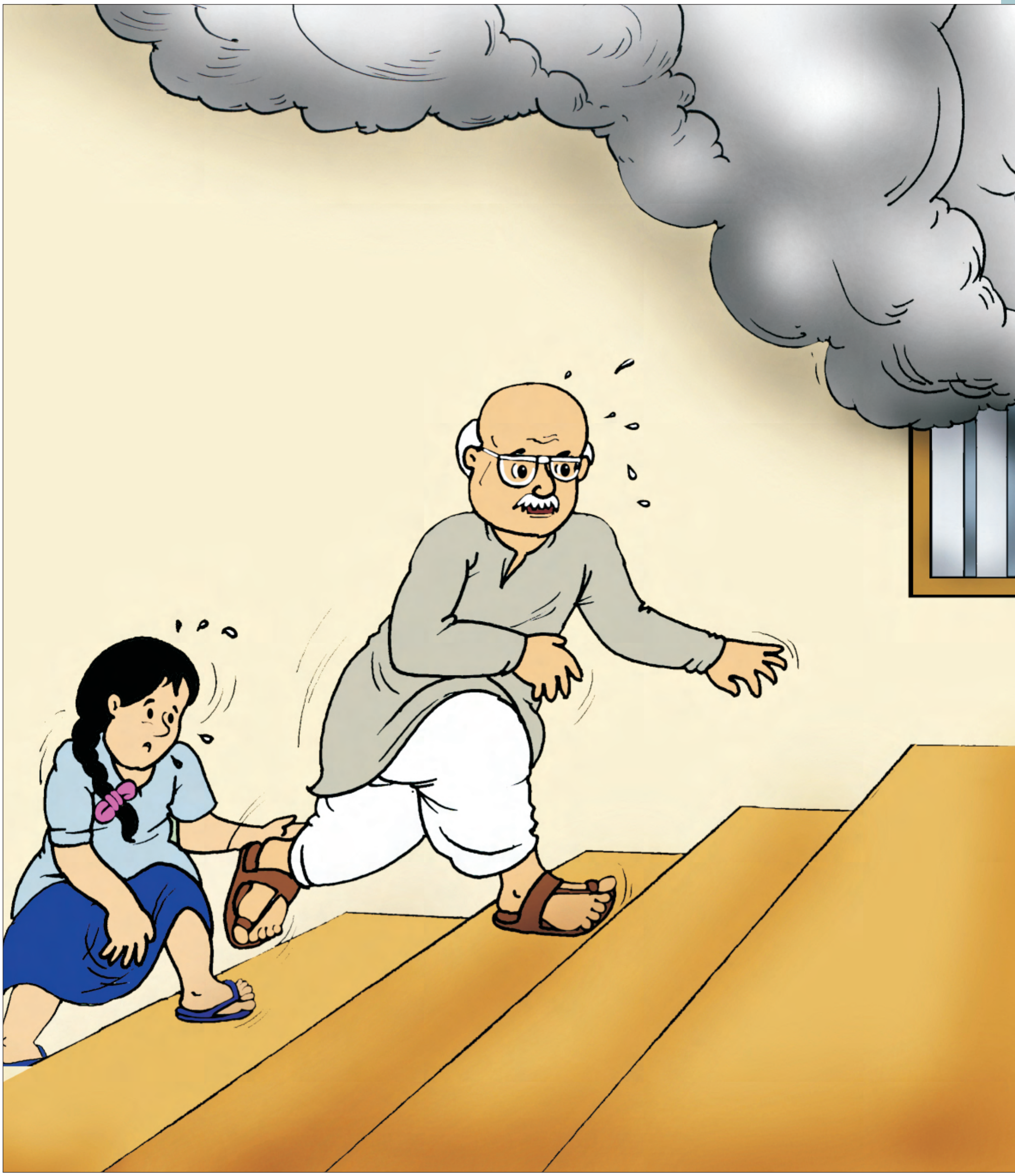

मास्टर जी और चुलबुली भागकर ऊपर पहली मंजिल पर पहुँच जाते हैं। जहाँ कुछ बच्चे आग में फँसे हुए हैं।

मास्टर जी चुलबुली को आग वाली जगह से दूर रहने को कहते हैं। बच्चों को आग से निकालने के लिए चुलबुली अग्निशमन को 101 पर फोन करने और पुलिस के साथ–साथ डॉक्टर साहब एवं अन्य सभी को खबर करने को निकल जाती है।

15. विद्यालय परिसर में आग लगने कि स्थिति में किसी भी व्यक्ति / बच्चे / विद्यार्थी को अंदर जाने की अनुमति न दी जाय। विशेष स्थिति में यदि किसी के खोज और बचाव के लिए अंदर जाना हो तो यह सुनिश्चित करें कि अंदर जाने वाला अमुक व्यक्ति वयस्क हो एवं वह अग्निशमन दल के सदस्य के साथ ही अंदर जाय।

16. निष्करण (Evacuation):– विद्यालय भवन के जिस तल पर आग लगी हो उसे तुरंत खाली कराया जाय। विद्यालय के नोडल शिक्षक (अग्नि सुरक्षा) अतिशीघ्र उक्त स्थान पर जाकर स्थिति की गंभीरता का आंकलन करें और तुरंत आंशिक अथवा पूर्ण विद्यालय निष्करण (Partial or Complete Evacuation) हेतु दिशा निर्देश जन सूचना तंत्र (Public Address System) द्वारा दें। बच्चों को यह निर्देश दिया जाये कि वे अपने स्थान पर खड़े रहें और कोई शोर न करें तथा अपने शिक्षक के निर्देशानुसार पंक्ति बनाकर कक्षा से बाहर निकलें। कक्षा के अग्नि सुरक्षा निष्करण मोनिटर (Fire Safety Evacuation Monitor) सावधानीपूर्वक नोडल शिक्षक (आपदा प्रबंध) के निर्देशों को सुनें।

दीदी जी भागकर सभा स्थल पर पहुँच जाती है और मेगा फोन (जन सूचना तंत्र) पर कहती है, ''सभी बच्चे शांत हो जाएं और अपने निर्धारित स्थान पर खड़े रहें। कोई शोर न करें और शिक्षक के कहे अनुसार कक्षा से पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकलें।''

दीदी जी लगातार मेगा फोन (जन सूचना तंत्र) पर सूचना देती रहीं।''

17. आपातकालीन द्वार/रास्ते (Emergency Exit Routes) की जानकारी जन सूचना तंत्र (Public Address System) द्वारा निरंतर दिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि सभी बच्चे रॉल नंबर के अनुसार सभा स्थल (असेम्बली) में वापस खड़े होने की प्रक्रिया प्रारंभ करें।

चंचल कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ पहली मंजिल पर आग में फँसा हुआ है। वे दोनों दीदी जी के संदेश एवं शिक्षा के अनुसार अपनी कक्षा के सभी सहपाठियों से शांत रहकर और पंक्ति बनाकर बाहर निकलने को कहते हैं।

18. सीढ़ियों से उतरते और चढ़ते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाय कि विद्यार्थी/बच्चे शांति बनाये रखें एवं एक पंक्ति बनाकर रहें ताकि किसी भी प्रकार के भगदड़ से बचा जा सके।

चंचल और मोनू अपने निःशक्त दोस्त रोहन को सीढ़ियों से नीचे उतरने में मदद करते हैं। उधर, चंचल के कहे अनुसार कक्षा से सभी बच्चे पंक्तिबद्ध होकर बाहर निकल रहें हैं।

19. **विशेष सक्षम बच्चों (Differently Abled Children) की सुरक्षाः– विशेष सक्षम बच्चों के निकलने हेतु विशेष व्यवस्था की जाय, यथा उनके साथ दो सहयोगी बच्चों को लगाया जाय या कक्षा मोनिटर (Class Monitor) यह सुनिश्चित करें कि पहले विशेष सक्षम बच्चों को बाहर निकाला जाय।**

चंचल अपने सहपाठियों का अगुआई कर रहा है। कक्षा से बाहर आकर सीढ़ियों से उतरते समय अपने सहपाठियों से कहता है,''सभी ध्यान से एक के पीछे एक खड़े होकर पंक्ति में और शांत होकर नीचे उतरो और ध्यान रहे कोई एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास न करे वरना पंक्ति टूट जाएगी और भगदड़ मच जाएगा।'' सभी चंचल के कहे अनुसार नीचे उतरते हैं।

20. इस बात का विशेष ख्याल रखा जाय कि पंक्ति (Queue) में चलते समय कोई एक को छोड़कर आगे (Overtaking) बढ़ने की कोशिश न करें। इस दौरान दौड़ना, हल्ला करना और हँसना सख्त मना किया जाय।

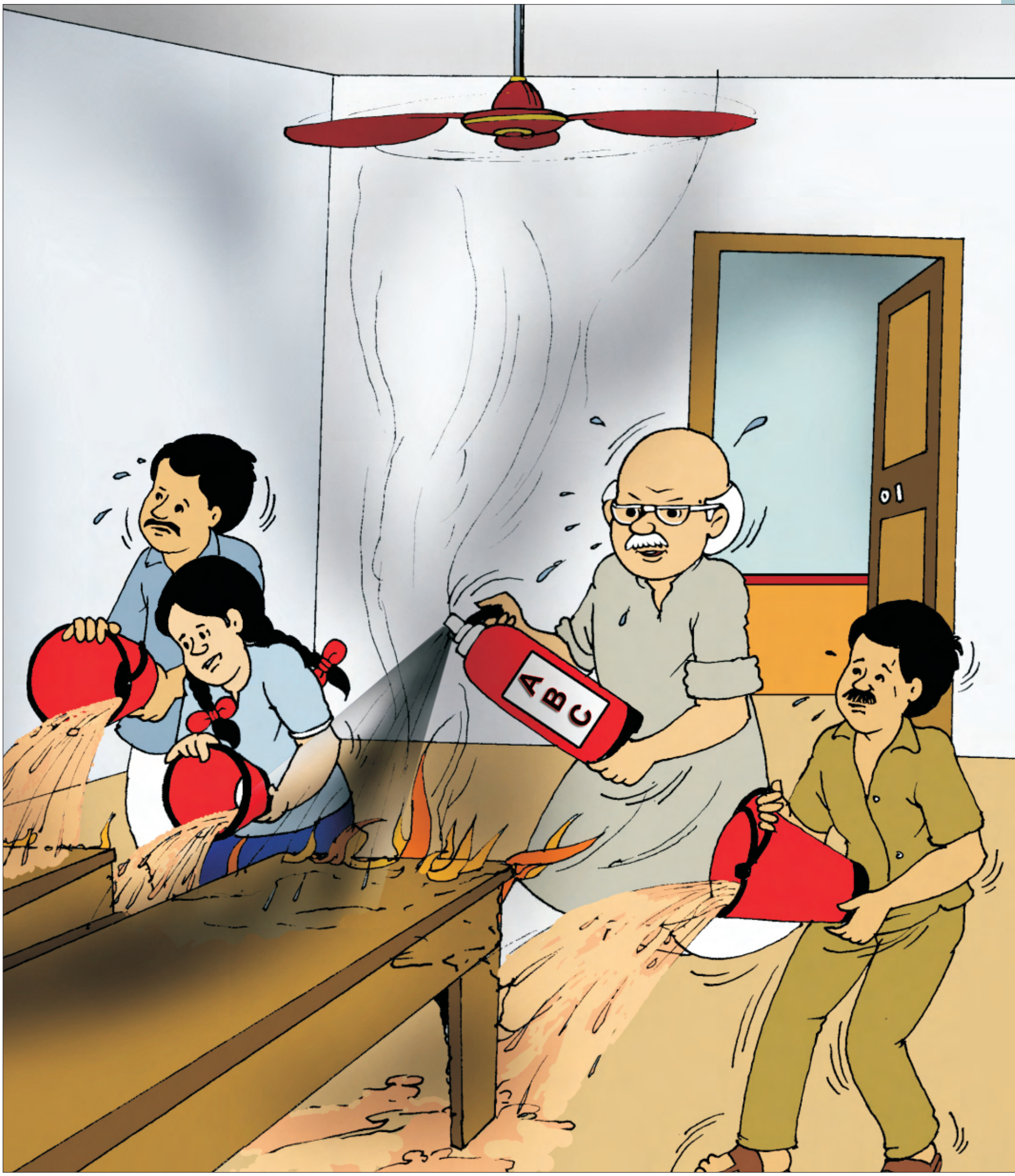

नंदू काका एवं अन्य सहयोगी अग्निशामक यंत्र, अग्नि बाल्टी, आदि लेकर आग वाले स्थान पर पहुँचते हैं। मास्टर जी अग्निशमन यंत्र तथा चुलबुली अग्नि बाल्टी से आग बुझाने लगती है।

21. विद्यालय की सभा स्थल (Assembly) में बच्चों को अग्निशमन यंत्र, अग्नि बाल्टी (Fire Bucket), आदि को इस्तेमाल करने का प्रशिक्षण दिया जाय।

तभी, अग्निशमन दस्ता मास्टर जी के पास पहुँच जाता है।

मास्टर जी और अग्निशमन दस्ता के कर्मियों ने किसी भी व्यक्ति को आग वाले स्थान पर नहीं जाने की सलाह दी। अग्निशमन दस्ते ने आग बुझाना शुरू कर दिया।

मेगा फोन (जन सूचना तंत्र) पर दीदी जी लगातार आपातकालीन रास्ते की जानकारी बच्चों तक पहुँचा रही थी।

कुछ समय बाद, अग्निशमन दस्ते के चाचा जी ने बताया कि आग बुझा ली गई है। (सभी ने राहत की साँस ली!)

अग्निशमन दस्ते वाले चाचा जी सभी से कहते हैं, ''बच्चों यदि कभी तुम्हारे कपड़े या शरीर में आग लग जाती है तो तुम सभी को सबसे पहले जमीन पर लेट जाना चाहिए और जमीन पर लुढ़कना चाहिए।

चुलबुली चाचा जी के बातों की कल्पना करने लगती है।

अग्निशमन दस्ते के जाने पर पूरा विद्यालय परिसर शांत हो जाता है।

मास्टर जी सभी बच्चों को सभा स्थल पर पहुँचने को कहते हैं। सभी बच्चे सभा स्थल पर एकत्रित हो जाते हैं।

सभा स्थल (असेम्बली) पर मास्टर जी सभी बच्चों से कहते हैं, ''बच्चों जिस तरह अपने शरीर को आग से बचाने के लिए जमीन पर लेटकर लुढ़कना होता है, उसी तरह यदि कभी भूकंप आ जाये तो यह मंत्र याद रखना, ''झुको, ढ़को और पकड़ो''।

कक्षा में यदि तुम फँस जाते हो तो कक्षा के बेंच के अन्दर झुककर बैठ जाओ, अपने शरीर एवं सिर को ढ़को और फिर किसी बेंच के खंभे को पकड़ो। भवन से बाहर निकलो और हाँ, भवन का मेन स्वीच बंद करना न भूलना।

दीदी जी उपस्थिति पंजी से सभी बच्चों की उपस्थिति सुनिश्चित करतीं हैं और फिर कहती हैं, ''चुलबुली और चंचल ने आज बहुत अच्छा काम किया है। हम विद्यालय परिवार इन दोनों बहादुर बच्चे के अद्‌भुत कारनामों की प्रशंसा करते हैं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।''

22. **सभा स्थल (Assembly) पर सुनिश्चित किये जाने वाले कार्यः— सभा स्थल से संबंधित शिक्षक (Assembly In Charge Teacher) अपने स्थान पर उपस्थित हो और यह सुनिश्चित करें कि सभी बच्चे अपने पूर्व निर्धारित स्थान पर क्रमबद्ध होकर खड़े है या नहीं। इस समय सभी विद्यार्थियों/बच्चों की उपस्थिति (Attendance Register) में यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई बच्चा छूटे नहीं (एक भी बच्चा छुटा सुरक्षा चक्र टूटा)।**

श्री अनिल कुमार सिन्हा, माननीय उपाध्यक्ष, बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के परिकल्पना एवं मार्गदर्शन में संकलित, श्री आनंद बिजेता, परियोजना पदाधिकारी के सहयोग से एवं श्री संजीव कुमार द्वारा चित्रित।

बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

(आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार)

द्वितीय तल, पन्त भवन, बेली रोड, पटना

फोन : 0612–2522032

website : www.bsdma.org

Join us on Facebook (Bihar Aapda Mitra) - http://www.facebook.com/groups/biharaapdamitra)